बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Citizen Service (नागरिक सुविधाओं) के बारे में जानकारी- भाग-4

“परिमार्जन प्लस”

ऑनलाइन उपलब्ध पुरानी जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन दायर करने की प्रक्रिया

① https://biharbhumi.bihar.gov.in/ को खोलें।

② “परिमार्जन प्लस” पर क्लिक करें। अगर आप registered User है तो आप अपना मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें (अगर नए user है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करें) तथा “परिमार्जन प्लस” पर क्लिक करें।

③ आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रकार यथा “डिजिटल जमाबंदी में सुधार करें" के अंतर्गत "Rectification in Old Jamabandi" को चुनें। (ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया शुरु होने के पूर्व की जमाबंदी)

④ उसके बाद जिस जमाबंदी में सुधार हेतु आवेदन देना है उस जमाबंदी को search करें।

⑤ सुधार हेतु सर्च की गई जमाबंदी के आगे दिये गए (→) बटन पर क्लिक करें। जमाबंदी का पूरा डिटेल्स दिखेगा, अब रैयत को अपने नाम, पिता नाम, पता इत्यादि से संबन्धित सुधार, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, कुल क्षेत्रफल से संबधित सुधार तथा लगान से संबन्धित सुधार का विकल्प मिलेगा। जमाबंदी में जीतने बदलाव हेतु आवेदन करना है उसको चुन कर क्या बदलाव करना है से संबन्धित विवरण भरेंगे।

⑥ जिस सेक्सन में सुधार हेतु आवेदन करना है उसको YES करें, अब आपको उस सेक्सन का विवरण बदलने का प्रपत्र खुल जाएगा। उस सेक्सन के जिस विवरण को बदलना है उस विवरण के आगे दिये हुये “परिवर्तन अनुरोध” को YES करें। अब आप विवरण में बदलाव करें। इसी तरह जो जो बदलाव करना है उस सेक्सन के विवरण को update करें।

⑦ सभी बदलाव दर्ज करने के बाद उस बदलाव से संबन्धित साक्ष्य को अपलोड करें तथा Preview बटन पर क्लिक करें।

⑧ आपके द्वारा भरा गया सभी विवरण दिखाई देने लगेगा, एक बार सभी विवरण देखने के बाद, अगर सही हो तो शपथ पत्र अपलोड कर आवेदन को finalize कर सकते है, अथवा आवेदन में त्रुटि होने पर Edit बटन पर क्लिक कर पुनः आवेदन में बदलाव कर सकते है।

⑨ Final सबमिट के बाद आपको एक पावती संख्या प्राप्त होगी जिससे आप status पता कर सकते है।

⑩ अगर आपके द्वारा जमा किए हुये आवेदन में अंचल अधिकारी को कोई आपत्ति है तो वो आपको अपने comment के साथ वापस कर सकते है ऐसे में वो आवेदन आपको होम स्क्रीन पर दिखेगा जिसमे आवश्यक सुधार ऊपर दिये गए प्रक्रिया का पालन कर कर सकते है।